दिनांक 17/08/2021

पत्रावली पेश हुयी। वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जगत सिंह का अपंगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। मूल वाद के रूप में दर्ज हो। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 8 ग 1 दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया। वादी ने यह वाद वास्ते बैनामा निरस्तीकरण व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु योजित किया है।

प्रथम दृष्टया मामले के तथ्यों एवम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर सुनवायी का सम्यक अवसर दिये हुये एक पक्षीय रूप से वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का व्यादेश जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रतिवादी को नोटिस जारी हो। आपत्ति आमंत्रित हो। वाद वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक 17/09/2021 व जवाबदावा/तनकीह हेतु दिनाँक 24/09/2021 को पेश हो। वादी पैरवी करे।

सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर
कानपुर देहात।